महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0/टाइम एण्ड मोशन/ 6717 /2022–23 दिनांक 02 नवम्बर, 2022

विषय: **टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–867/68–5–2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2020 **(संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के संचालन एवं **पढ़ाई के घण्टे, शैक्षणिक समय, समय–सारिणी के अनुसार प्रत्येक कालाँश का निर्धारण, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश** के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। **टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिये समय, अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में अद्यतन की गयी कार्यवाही एवम् अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।** तत्क्रम में निम्नलिखित निर्देशानुसार गतिविधियां सुनिश्चित करायी जायें :–

1. शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिये **विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घण्टे** निर्धारित करते हुये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया गया है। तद्नुसार अपने जनपद के शैक्षणिक कैलेण्डर (सार्वजनिक अवकाश आदि) का अवलोकन एवं विश्लेषण कर ज्ञात किया जाये कि जनपद के विद्यालयों में उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं। इस संबंध में आख्या तैयार कर अनुपालन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को **दिनांक 20 नवम्बर, 2022 तक** अवगत कराया जाये।
2. शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हों एवं शिक्षण अवधि के पश्चात् न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करें एवं आगामी दिवस की कक्षा–शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करें। शैक्षिक पंचांग (साप्ताहिक कैलेण्डर) का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय–सारिणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालाँश की व्यवस्था की जाये।
3. टाइम एण्ड मोशन स्टडी हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2020 में वर्णित शैक्षणिक समय के अन्तर्गत उल्लिखित समयानुसार प्रार्थना सभा/योगाभ्यास अवश्य कराया जाये।
4. पंजिकाओं को अद्यावधिक किये जाने का कार्य शिक्षण अवधि के उपरान्त ही किया जाये। विद्यालयों में पंजिकाओं के रख–रखाव एवं उपयोग के संबंध में निर्देश प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉडयूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जायेंगे। उक्त शासनादेश में वर्णित समस्त पंजिकाओं को ऑनलाइन किये जाने की प्रकिया गतिमान है।
5. विद्यालय हेतु निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा।
6. शिक्षकों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में ही प्रतिभाग किया जायेगा। जनपद या विकासखण्ड स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

विद्यालय से संबंधित बैंकिंग कार्यों हेतु आनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अतः बैंकिंग एवं अन्य कार्यों यथा–पासबुक में एण्ट्री/अद्यावधिक कराया जाना, ग्राम प्रधान से वार्ता/एम0डी0एम0 सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे।

8. विभिन्न विभागों के समन्वय से समय–समय पर जन–जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे–संचारी रोग कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण आदि। उक्त समस्त गतिविधियां सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ जुड़ाव एवं जन–जागरण के लिये महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उक्त कियाकलापों से बच्चों के जीवन कौशल में अभिवृद्धि सुनिश्चित होती है। अतः समुदाय एवं अभिभावकों के साथ शिक्षकों का जुड़ाव सुदृढ़ करने के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों का कियान्वयन यथासंभव विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये ताकि पठन–पाठन प्रकिया पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

9. शिक्षकों के वेतन, अवकाश, मेडिकल आदि से संबंधित समस्त कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। अतः अधिष्ठान संबंधी किसी कार्य के लिये शिक्षकों द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क नहीं किया जायेगा। अधिष्ठान संबंधी कार्यों के लिये शिक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किये जाने की स्थिति में बी0एस0ए0 एवं बी0ई0ओ0 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा संबंधित पटल प्रभारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

10. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, डी0बी0टी0 एवं अन्य किसी भी सामग्री के वितरण की कार्यवाही शिक्षकों द्वारा विद्यालय अवधि के उपरान्त ही संपादित की जाये।

11. शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये। शिक्षक संकुल द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जायेगा कि विकासखण्ड के किन–किन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित शिक्षकों के फोटोग्राफ्स भी डी0सी0एफ0 पर अपलोड किये जायें।

12. सप्ताह में कम से कम एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाये। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्ययोजना एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाये।

13. एस0एम0सी0 की बैठकें, पी0टी0एम0 का आयोजन तथा शिक्षकों द्वारा होम विजिटस् विद्यालय अवधि के उपरान्त ही किया जाये।

14. जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा। विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण की अभिवृद्धि हेतु अभिनव प्रयास किये जायें किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी ऐसी गतिविधि या कियाकलाप का आयोजन न किया जाये जिससे कि पठन–पाठन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।

15. विद्यालय अवधि में यथासम्भव कोई भी रैली/प्रभात फेरी/मानव श्रृंखला/नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किये जायें। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व/पश्चात ही किये जायें। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाये।

16. शैक्षणिक अवधि में यदि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उक्त तिथि के वेतन की कटौती की जायेगी।

17. जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयी कार्य हेतु किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जाये।

18. प्रत्येक माह विकासखण्ड पर विद्यालय अवधि के पश्चात निर्धारित एजेण्डा पर प्रधानाध्यापकों की बैठक आहूत की जायेगी। इस बैठक के दौरान 'निपुण भारत मिशन', कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, डी0बी0टी0/आधार अथेंटीकेशन तथा वित्तीय सूचनायें संकलित की जायें। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है, तो अनिवार्यतः शिक्षण अवधि के पश्चात् आहूत की जाये। विभागीय सूचनायें प्राप्त किये जाने हेतु शिक्षक संकुल का प्राविधान किया गया है अतः शिक्षक संकुल के माध्यम से दूरभाष से अथवा ऑनलाइन सूचनायें संकलित की जायें।

कृपया उपर्युक्तानुसार विद्यालयों में पठन–पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये अपने स्तर से सर्वसंबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: गुण0वि0/टाइम एण्ड मोशन/ 6717 /2022–23 **तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।
13. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।